Date – 6 July 2022

डिजिटल इंडिया वीक 2022

- हाल ही में, प्रधान मंत्री ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देना और जीवन को आसान बनाना है।
- **थीम:** 'न्यू इंडिया टेक्नोलॉजी इंस्पिरेशन'।
- देश को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में बदलना।
- आयोजन के दौरान, प्रधान मंत्री ने प्रौद्योगिकी तक पहुंच बढ़ाने, जीवन को आसान बनाने के लिए सेवा वितरण को सुव्यवस्थित करने और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई डिजिटल पहल की शुरुआत की।

पहल:

डिजिटल इंडिया भाषिनी :

- डिजिटल इंडिया भाषिनी भारत का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के नेतृत्व वाला भाषा अनुवाद मंच है।
- भाषिनी प्लेटफॉर्म कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण (एनएलपी) संसाधनों को एमएसएमई (मध्यम, लघु और सूक्ष्म उद्यम), स्टार्टअप और व्यक्तिगत नवोन्मेषकों को सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराएगा।

डिजिटल इंडिया जेनेसिस (जेनेसिस):

- 'डिजिटल इंडिया जेनेसिस' (इनोवेटिव स्टार्टअप्स के लिए जेन-नेक्स्ट सपोर्ट) भारत के टियर-II और टियर-III शहरों में सफल स्टार्टअप्स की खोज, समर्थन, विकास और सफल होने के लिए एक राष्ट्रीय डीप-टेक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म है।

मेरी योजना:

- यह एक खोज और खोज मंच है जो सरकारी योजनाओं तक पहुंच को सुगम बनाता है।
- इसका उद्देश्य वन-स्टॉप सर्च एंड डिस्कवरी पोर्टल शुरू करना है, जहां उपयोगकर्ता उन योजनाओं की खोज कर सकते हैं जिनके लिए वे पात्र हैं।

मेरी पहचान:

- यह एक नागरिक लॉगिन के लिए एक राष्ट्रीय एकल साइन ऑन (एनएसएसओ) है।
- यह एक उपयोगकर्ता प्रमाणीकरण सेवा है जिसमें क्रेडेंशियल का एक सेट एकाधिक ऑनलाइन एप्लिकेशन या सेवाओं तक पहुंच प्रदान करता है।

चिप्स स्टार्टअप (C2S) प्रोग्राम:

- C2S कार्यक्रम का उद्देश्य स्नातक, मास्टर और अनुसंधान स्तरों पर सेमीकंडक्टर चिप्स डिजाइन के क्षेत्र में विशेष जनशक्ति को प्रशिक्षित करना और देश में सेमीकंडक्टर डिजाइन में शामिल स्टार्टअप्स के विकास के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना है।
- यह संगठनात्मक स्तर पर सलाह प्रदान करता है और संस्थानों को डिजाइन के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं प्रदान करता है।

इंडिया स्टैक ग्लोबल:

- यह आधार, यूपीआई (यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस), डिजिलॉकर, कॉइन वैक्सीनेशन प्लेटफॉर्म, गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस, दीक्षा प्लेटफॉर्म और आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन जैसी इंडिया स्टैक के तहत कार्यान्वित प्रमुख परियोजनाओं का वैश्विक भंडार है।
- यह जनसंख्या स्तर पर डिजिटल परिवर्तन परियोजनाओं के निर्माण में भारत को एक अग्रणी के रूप में स्थापित करने में मदद करेगा।

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम:

- इसे वर्ष 2015 में लॉन्च किया गया था।
- यह कार्यक्रम कई महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं जैसे भारतनेट, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और स्टैंडअप इंडिया, औद्योगिक गलियारे आदि के लिए सक्षम किया गया है।

दृष्टि का दायरा:

- हर नागरिक के लिए उपयोगी डिजिटल बुनियादी ढांचा।
- मांग पर शासन और सेवाएं।
- नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण।

उद्देश्य:

- भविष्य के लिए भारत के ज्ञान को तैयार करना।
- परिवर्तनकारी होने के लिए, आईटी (भारतीय प्रतिभा) + आईटी (सूचना प्रौद्योगिकी) = आईटी (इंडिया टुमॉरो) को साकार करना होगा।
- परिवर्तन को सक्षम करने के लिए प्रौद्योगिकी को केंद्रीकृत करना।
- कई विभागों को कवर करने वाला एक छाता कार्यक्रम।

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की उपलब्धियां:

- 2014 से अब तक 23 लाख करोड़ रुपये से अधिक प्रत्यक्ष लाभ अंतरण या डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों को हस्तांतरित किए जा चुके हैं।

- आधार, यूपीआई, कोविन और डिजिलॉकर जैसी डिजिटल प्लेटफॉर्म सेवाओं ने "जीवन की सुगमता" में योगदान दिया है क्योंकि यह नागरिकों को सरकारी कार्यालयों या बिचौलियों के पास जाने के बिना ऑनलाइन सेवाएं प्राप्त करने की अनुमति देता है।
- डिजिटल इंडिया ने सरकार को नागरिकों के दरवाजे और फोन तक पहुंचा दिया है। 1.25 लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) और ग्रामीण स्टोर अब ई-कॉमर्स को ग्रामीण भारत में ले जा रहे हैं।
- इसी प्रकार तकनीक का उपयोग कर ग्रामीण संपत्तियों के लिए संपत्ति के दस्तावेज उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
- वन नेशन वन राशन कार्ड (ONORC) की मदद से 80 करोड़ से अधिक देशवासियों के लिए मुफ्त राशन सुनिश्चित किया गया।
- भारत ने को-विन प्लेटफॉर्म के माध्यम से दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे कुशल COVID टीकाकरण और COVID राहत कार्यक्रम शुरू किया है।

स्वदीप कुमार

कस्टडियल डेथ

- पुलिस की बर्बरता और हिरासत में हिंसा के मामले में भारत का रिकॉर्ड खराब रहा है। 2001 से 2018 के बीच 1,727 लोगों की पुलिस हिरासत में मौत हुई, लेकिन इन मामलों में सिर्फ 26 पुलिसकर्मियों को ही दोषी ठहराया गया.
- अपराधों की जांच के लिए वैज्ञानिक तरीकों को अपनाने के लिए पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण देने में समय और धन के भारी खर्च के बावजूद हिरासत में मौत होना आम बात है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पुलिसकर्मी अलग-अलग पृष्ठभूमि और अलग-अलग नजरिए से इंसान हैं।
- इस संदर्भ में हिरासत में हुई मौतों से संबंधित प्रश्नों पर विचार करना प्रासंगिक होगा।

हिरासत में होने वाली मौतों का मतलब:

- हिरासत में मौत या 'हिरासत में मौत' का अर्थ है पुलिस हिरासत में या न्यायिक हिरासत में सजा काटने के दौरान या मुकदमे के दौरान कारावास की सजा काटने वाले व्यक्तियों की मृत्यु।
- यह कोई रहस्य नहीं है कि जब पुलिस पूछताछ के दौरान प्राप्त निष्कर्षों से संतुष्ट नहीं होती है, तो वे कभी-कभी यातना और हिंसा का सहारा लेती हैं, जिससे संदिग्ध की मौत हो सकती है।
- इसमें पुलिस हिरासत या कारावास में यातना, मौत और अन्य ज्यादती शामिल है।

भारत में हिरासत में होने वाली मौतों का परिदृश्य

- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों के अनुसार, पिछले 20 वर्षों में हिरासत में 1,888 मौतें, पुलिसकर्मियों के खिलाफ 893 मामले और देश भर में 358 पुलिसकर्मियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किए गए हैं। लेकिन आधिकारिक रिकॉर्ड के मुताबिक, इसी अवधि में केवल 26 पुलिसकर्मियों को ही दोषी ठहराया गया।
- उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा को छोड़कर देश में कहीं और ऐसी मौतों के लिए किसी पुलिसकर्मी को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया।
- हिरासत में हुई मौतों के अलावा, 2000 और 2018 के बीच पुलिस के खिलाफ 2,000 से अधिक मानवाधिकार उल्लंघन भी दर्ज किए गए थे और उन मामलों में केवल 344 पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराया गया था।

हिरासत में मौत के संभावित कारण क्या हैं?

मजबूत कानून का अभाव :

- भारत में अत्याचार विरोधी कानून मौजूद नहीं है, न ही हिरासत में हिंसा को अपराध घोषित किया गया है, जबकि दोषी पुलिसकर्मियों/अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की स्थिति भी असंतोषजनक है।

संस्थागत चुनौतियां:

- पूरी जेल प्रणाली स्वाभाविक रूप से अस्पष्ट है और पारदर्शिता के लिए बहुत कम अवसर देती है।
- भारत बहुत जरूरी जेल सुधार लाने में भी विफल रहा है और जेलों को खराब परिस्थितियों, भीड़भाड़, और कर्मियों की भारी कमी और जेलों में हिंसा/आघात के खिलाफ न्यूनतम सुरक्षा उपायों की कमी का सामना करना पड़ रहा है।

अत्यधिक जबरदस्ती:

- राज्य यातना सहित अत्यधिक दबाव का प्रयोग करता है, जिसके शिकार हाशिए पर रहने वाले समुदाय होते हैं। राज्य उन आंदोलनों में भाग लेने वालों या विचारधाराओं का प्रचार करने वालों को नियंत्रित करने के लिए जबरदस्ती का सहारा लेता है, जिन्हें राज्य अपने खिलाफ मानता है या खतरे के रूप में देखता है।

लंबी न्यायिक प्रक्रियाएं:

- अदालतों द्वारा अपनाई जाने वाली लंबी, महंगी औपचारिक प्रक्रियाएं गरीबों और कमजोर लोगों को हतोत्साहित करती हैं।

अंतर्राष्ट्रीय मानक का अनुपालन नहीं:

- हालांकि भारत ने वर्ष 1997 में अत्याचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन उसने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है।
- जबकि यह हस्ताक्षर केवल संधि में निर्धारित दायित्वों को पूरा करने के लिए देश के इरादे को इंगित करता है, इसका अनुसमर्थन या अनुसमर्थन प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए कानूनों और तंत्रों के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करेगा।

हिरासत के संबंध में क्या प्रावधान उपलब्ध हैं?

संवैधानिक प्रावधान:

अनुच्छेद 21:

- अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि "कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा।"
- यातना से सुरक्षा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा) के तहत एक मौलिक अधिकार है।

अनुच्छेद 22:

- अनुच्छेद 22 "कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नजरबंदी से सुरक्षा" प्रदान करता है।
- भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(1) के तहत, किसी व्यक्ति को सलाह लेने और अपने हित के किसी कानूनी व्यवसायी द्वारा बचाव करने का मौलिक अधिकार है।

कानूनी प्रावधान:

आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी):

- सीआरपीसी की धारा 41 को वर्ष 2009 में संशोधित किया गया था और यह सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा उपाय जोड़े गए थे कि गिरफ्तारी और पूछताछ के लिए हिरासत में लेने के लिए उचित आधार और दस्तावेजी प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है, गिरफ्तारी को परिवार, दोस्तों और आम जनता के लिए पारदर्शी बनाया जाता है और कानूनी प्रतिनिधित्व के माध्यम से संरक्षित किया जाता है।

1972 का मथुरा मामला:

- मथुरा बलात्कार कांड 26 मार्च 1972 को हुई हिरासत में बलात्कार का एक गंभीर मामला था। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के देसाईगंज थाने के परिसर में मथुरा नाम की एक आदिवासी लड़की के साथ दो पुलिसकर्मियों ने कथित रूप से बलात्कार किया।
- इस मामले ने भारत सरकार को देश में बलात्कार कानूनों में संशोधन करने के लिए प्रेरित किया और 1983 में बलात्कार से निपटने वाले आपराधिक कानूनों में एक नई श्रेणी जोड़ी गई।

YOJNA IAS

- कानून में प्रावधान किया गया है कि अगर कोई महिला कहती है कि उसने सेक्स के लिए सहमति नहीं दी तो अदालत सुनेगी कि वह सच बोल रही है|
- मथुरा मामले ने बंद कार्यवाही के रूप में इन-कैमरा मुकदमे का मार्ग प्रशस्त किया और बाद में बलात्कार पीड़ितों को उनके वास्तविक नामों से चिह्नित करने पर प्रतिबंध लगा दिया।
- हिरासत में बलात्कार को परिभाषित करने के अलावा, संशोधन ने आरोप लगाने वाले से सबूत का बोझ आरोपी पर स्थानांतरित कर दिया।
- यह भी प्रावधान किया गया था कि महिलाओं को सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद थाने नहीं बुलाया जा सकेगा।

हिरासत में पूछताछ के संबंध में प्रौद्योगिकी की भूमिका

ब्रेन फ़िंगरप्रिंट सिस्टम (बीएफएस):

- बीएफएस एक प्रकार की झूठ-पहचान तकनीक है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति के मस्तिष्क तरंगों को मापा जाता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि कोई व्यक्ति पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते समय सच कह रहा है या नहीं।
- यह तकनीक जांच एजेंसियों को जटिल मामलों में सुराग खोजने में मदद करती है।

रोबोट:

- पुलिस विभाग द्वारा निगरानी और बम का पता लगाने के लिए रोबोट का तेजी से उपयोग किया जा रहा है।
- कई विशेषज्ञों का मानना है कि रोबोट पूछताछ में मानव पूछताछकर्ता के समान या उससे बेहतर भूमिका निभा सकते हैं।
- सच को उजागर करने के लिए पुलिस की तुलना में संदिग्ध स्वचालित संवादी रोबोट के प्रति अधिक ग्रहणशील हो सकते हैं।
- एआई और सेंसर तकनीक से लैस रोबोट संदिग्धों के साथ एक सहज संबंध बना सकते हैं, चापलूसी, शर्म और दबाव जैसी प्रेरक तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं और रणनीतिक रूप से बॉडी लैंग्वेज का उपयोग कर सकते हैं।
- एरिज़ोना विश्वविद्यालय ने 'ऑटोमेटेड वर्चुअल एजेंट फॉर ट्रुथ असेसमेंट इन रियलटाइम (अवतार)' नामक एक स्वचालित पूछताछ तकनीक विकसित की है।

- यह पूछताछ के दौरान संदिग्ध की आंखों की गतिविधियों, आवाज और अन्य चीजों का परीक्षण करने के लिए दृश्य, श्रवण, निकट-अवरक्त और अन्य सेंसर का उपयोग करता है।

AI:

- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और मशीन लर्निंग (एमएल) पूछताछ के उपकरण के रूप में उभर रहे हैं। एआई मानवीय भावनाओं का पता लगा सकता है और व्यवहार की भविष्यवाणी कर सकता है।
- जब पुलिस संदिग्धों के साथ अमानवीय व्यवहार कर रही हो तो एमएलए तुरंत वरिष्ठों को सचेत कर सकता है।

संबंधित चिंताएं:

- प्रौद्योगिकी के उपयोग के साथ पूर्वाग्रह, स्वचालित पूछताछ रणनीति से जुड़े संदेह, व्यक्तियों और समुदायों को लक्षित करने वाले मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का जोखिम और निगरानी के लिए इसके दुरुपयोग का जोखिम आता है।
- जबकि पुलिस और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए उपलब्ध तकनीकों में लगातार सुधार हो रहा है, यह केवल एक सीमित साधन है जो हिरासत में होने वाली मौतों को पूरी तरह से समाप्त नहीं कर सकता है।

स्वदीप कुमार

YOJNA IAS